न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, रेलमगरा जिला राजसमंद

पीठासीन अधिकारी :– बिन्दुबाला राजावत आर.ए.एस.

पत्रावली संख्या. 5/2025
किस्म :– अपील
दायर दिनांक : 03.01.2023
निर्णय दिनांकः 18.12.2025

अनवान

1– सत्यनारायण पिता भेरुलाल जाति शर्मा निवासी जुणदा तहसील रेलमगरा
2– रवि पिता भेरुलाल जाति शर्मा निवासी जुणदा तहसील रेलमगरा जिला राजसमंद

अपीलांट

बनाम

1– ग्राम पंचायत जुणदा जरिये संरपच जुणदा पंचायत समिति रेलमगरा जिला राजसमन्द
2– कन्हैयालाल पिता भेरुलाल जाति शर्मा निवासी जुणदा तहसील रेलमगरा
3– डिम्पल पिता भेरुलाल जाति शर्मा निवासी जुणदा तहसील रेलमगरा जिला राजसमंद
4– पुष्पा पत्नि भेरुलाल जाति शर्मा निवासी जुणदा तहसील रेलमगरा जिला राजसमंद

रेस्पोडेटगण

अपील विरूद्व नामान्तरण संख्या 1831 दिनांक 05.03.2012 एंव 1886 दिनांक 05.06.2014

वादी अधिवक्ता– लादुलाल जाट
प्रतिवादी अधिवक्ता– अनुपस्थित

निर्णय

अपीलाण्ट की ओर से जरिये अधिवक्ता प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम जुणदा पटवार हल्का जुणदा में आराजी संख्या 2770, 3379/3002, 2769, 2548, 2811, 2812 ,3085, 3086, 3087, 3095, 3098, 3099, 3100, 853, अपीलान्ट व रेस्पोडेण्ट संख्या 02 से लगायत 04 की कृर्षि भूमियां स्थित है जिसका नामान्तकरण संख्या 1831 दिनांक 05–03–2012 ,व नामान्तकरण संख्या 1986 दिनांक 05–06–2014 को ग्राम पंचायत जुणदा द्वारा पारित आदेश विधि, न्याय, नियम एंव वाकियाती तथ्यों के विपरित होने से निरस्त होने योग्य है इसलिये यह अपील आप न्यायालय में पेश है। यह कि अपीलान्टगण व रेस्पोडेण्ट संख्या 02 से लगायत 04 के पिता भैरुलाल पिता मोहनलाल के खातेदारी की थी अपीलान्ट व रेस्पोडेण्ट संख्या 02 से लगायत 04 के पिता के मृत्यु के समय अपीलान्टगण नाबालिक थे, जिससे अपीलान्टगण को नामान्तकरण की कोई जानकारी नही थी, की जमाबन्दी में अपीलान्टगण का क्या नाम दर्ज हुआ। यह कि अधिनस्त ग्राम पंचायत द्वारा मृतक भैरुलाल पिता मोहनलाल का विरासतीय

सहायक कलकटर
(उप खण्ड अधिकारी)
रेलमगरा

नामान्तकरण बाबत् कार्यवाही करते समय ग्राम पंचायत अर्थात् तत्कालिन संरपच व पटवारी हल्का द्वारा अपीलान्टगण सही नाम के दस्तावेज देखे बिना अपीलान्टगण नाम विरासतीय इन्तकाल में सही नही भर अपने मन मकसद तरिके से अपीलान्टगण की बिना जानकारी के अपीला.ट संख्या 01 का नारायण व अपीलाण्ट संख्या 02 का रविशंकर भरकर निर्णित किया जबकि अपीलान्टगण के समस्त दस्तावेजो में व वास्तविक नाम अपीलाण्ट संख्या 01 का सत्यनारायण व अपीलाण्ट संख्या 02 का रवि था जो ग्राम पंचायत अर्थात् तत्कालिन संरपच व पटवारी हल्का द्वारा नही भरा गया जिससे वैधानिक प्रावधानो का स्पष्ट रुप से उल्लंगन होने से अधिनस्थ ग्राम पंचायत जुणदा द्वारा पारित नामान्तकरण आदेश निरस्त किये जाने योग्य है अपीलान्टगण के नाम सम्बधित दस्तावेज साथ संलग्न है जिसमें स्कुल की अंकतालिका, आधार कार्ड, पहचान पत्र, पेन कार्ड, डाईविग लाईसेन्स, प्रमाण में प्रस्तुत है। यह कि अधिनस्त ग्राम पंचायत जुणदा द्वारा विरासत नामान्तरकरण में अपीलान्टगण को किसी प्रकार से सुनवाई का अवसर नही देते हुए व दस्तावेजो व वास्तविक नाम की जानकारी किये बिना अपने मन मकसुद तरिके से नामान्तकरण आदेश नामान्तकरण संख्या 1831 दिनांक 05–03–2012 एंव नामान्तकरण संख्या 1986 दिनांक 05–06–2014 में अपीलान्टगण का नाम गलत दर्ज किया जो विधि एंव तथ्यों के विपरित होने से निरस्ती योग्य है। यह कि अधिनस्थ ग्राम पंचायत द्वारा अपीलान्टगण के पिता के विरासत की कार्यवाही के दौरान यह स्पष्ट जानकारी थी की अपीलाण्ट संख्या 01 का सत्यनारायण व अपीलाण्ट संख्या 02 का रवि था, जो नही भरा जो विधि एंव तथ्यों के विपरित होने से निरस्त योग्य है। यह कि अपीलान्टगण को अपील प्रस्तुत करने का हेतु दिनांक 19/05/2025 को अपीलान्टगण ने वादग्रस्त भुमियो की नकल व नामान्तकरण पटवारी हल्का से निकवायी तब जमाबन्दी में गलत नाम अकिंत होने की प्रथम बार जानकारी अपीलान्टगण को होने पर उक्त अपील जानकारी की दिंनाक से अन्दर अवधि प्रस्तुत है किसी कानुनी आपति वस अपील के साथ ही धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थनापत्र अलग से प्रस्तुत किया जा रहा है। यह कि अपीलान्टगण के द्वारा दोनो नामान्तकण में समान प्रार्थना होने से व पिता का विरासत का नामान्तकरण होने से दोनो नामान्तकरण की अपील के साथ पेश की जा रही है यह कि अपील का श्रवणाधिकार व क्षैत्राधिकार आप न्यायालय को होने से यह अपील न्यायालय आप के समक्ष प्रस्तुत की जा रही है। अन्य आधार वक्त बहस निवेदन किये जायेगे।

अतः प्रार्थना है कि अपील अपीलान्ट विरुद्व रेस्पोरेडेन्ट स्वीकार फरमायी जाकर अधिनस्थ ग्राम पंचायत जुणदा द्वारा नामान्तकरण संख्या 1831 दिनांक 05–03–2012 एंव नामान्तकरण संख्या 1986 दिनांक 05–06–2014 को अपास्त फरमाया जाकर अपीलाण्ट संख्या 01 का नाम नारायण के बजाय सत्यनारायण व अपीलाण्ट संख्या 02 का रविशंकर के बजाय रवि नाम दर्ज किये जाने का आदेश प्रदान किया जावें।

सहायक कलक्टर
(उप खण्ड अधिकारी)
रेलमगरा

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेटगण को नोटिस जारी किये गये। रेस्पोडेट संख्या 01 बावजुद सुचना है। रेस्पोडेटगण संख्या 02 से 04 की और से उपस्थित होकर स्वीकारात्मक जवाब प्रस्तुत किया जो शामिल पत्रावली किया गया।

अपीलांट के अधिवक्ता की बहस सुनी गयी। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज विक्रय पत्र के अनुसार अपील अपीलांट स्वीकार किया जाना उचित प्रतित होता है।

उपरोक्तानुसार अपील अपीलांट स्वीकार जाकर मोजा जुणदा की नामान्तकरण संख्या 1831 दिनांक 05–03–2012 एंव नामान्तकरण संख्या 1986 दिनांक 05–06–2014 को निरस्त किया जाकर पक्षकारान का सुन नये सिरे से नामान्तकरण पारित किया जावे। तहसीलदार रेलमगरा पालना कर पालना रिपोर्ट अविलम्ब प्रस्तुत करे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जावे।

निर्णय आज दिनांक 18.12.2025 सरे इजलास सुनाया गया।

(बिन्दुबाला राजावत)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी रेलमगरा
सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
रेलमगरा